बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–अ०सा०नि० / स्था०17–15 / 2020 /203 / पटना, दिनांकः– 14/07/23

कार्यालय आदेश

श्री शंभु शंकर, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सहरसा संप्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, शिवहर के विरूद्ध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक–3449 दिनांक–24.08.2020 के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक--03–1 / आ० दिनांक–07.07.2020 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर गठित आरोप पत्र पर निदेशालय के का०आ०सं०–232 सहपठित ज्ञापांक–1234 दिनांक–01.10.2021 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत श्री शंभु शंकर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ किया गया। इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), सहरसा को संचालन पदाधिकारी तथा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सहरसा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। जिला पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक–1049 / स्था० दिनांक–09.11.2021 द्वारा जिलान्तर्गत अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच) का पद रिक्त रहने की सूचना देते हुए अनुरोध किया गया कि अपर समाहर्त्ता–सह–अपर जिला दंडाधिकारी, सहरसा को अथवा अन्य किसी वरीय पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नामित की जाय। उक्त के आलोक में श्री शंकर के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में निदेशालय के का०आ०सं०–5 सहपठित ज्ञापांक–76 दिनांक–06.01.2022 द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–अपर जिला दंडाधिकारी, सहरसा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री शंभु शंकर के विरूद्ध आरोप पत्र के द्वितीय भाग–अवचार या कदाचार के लांछनों का सार में निम्न आरोप गठित किये गये :–

" आपके जिला प्रबंधक पद पर कार्यरत रहते हुए टी०पी०डी०एस०गोदाम, नवहट्टा, सत्तरकटैया एवं महिषी का विभागीय निदेशानुसार गोदाम का जाँच नहीं किया गया, जिसके वजह से तत्कालीन गोदाम प्रबंधक श्री नवीन प्रसाद रजक द्वारा FIFO का पालन नहीं करना आपके संज्ञान में नहीं आ सका अन्यथा इतनी बड़ी मात्रा में खाद्यान्न क्षतिग्रस्त नहीं होता। "

2. अपर समाहर्त्ता–सह–संचालन पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक–390 / न्या० दिनांक–18.08.2022 द्वारा श्री शंभु शंकर के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में समर्पित संचालन प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन निम्नवत् है :–

" आरोपी पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही के दौरान किसी भी निर्धारित तिथि को न तो सदेह उपस्थित हुए और न ही उनकी ओर से कोई पत्र इस क्रम में

प्राप्त हुआ। केन्द्रीय प्रेषण शाखा समाहरणालय, सहरसा के माध्यम से श्री शंकर को कुल चार निबंधित डाक से नोटिस भेजी गयी थी, जिसमें से RF321108730IN एवं RF314336895IN द्वारा प्रेषित पत्र यह प्रतिवेदित करते हुए वापस आया है कि पावक के अनुपस्थित रहने के कारण इसे प्रेषक को वापस किया जाता है। अन्य दो पत्रों के वापस प्राप्त नहीं होने से स्पष्ट होता है कि उक्त दो पत्र का तामिला हो चुका है। इससे स्पष्ट होता है कि वाद की सूचना प्राप्त होने के बाद भी वे अपना पक्ष नहीं रखना चाहते हैं एवं अपने बचाव में उन्हें कुछ नहीं कहना है। इस संदर्भ में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा भी स्पष्ट किया गया है कि उपलब्ध संचिकाओं एवं प्रतिवेदनों के अवलोकनोपरांत पाया गया कि अपने कार्यावधि में श्री शंभु शंकर द्वारा खाद्यान्न के उठाव वितरण में विभागीय निदेश का अनुपालन नहीं किया गया एवं टी०पी०डी०एस० गोदामों का भी निरीक्षण नहीं किया गया है। इस प्रकार श्री शंकर के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित होता है।''

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री शंकर के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित होता है, के समर्पित संचालन प्रतिवेदन पर निदेशालय के पत्रांक–1626 दिनांक–15.09.2022 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) के तहत श्री शंभु शंकर से अभ्यावेदन की मांग की गयी। श्री शंकर से अभ्यावेदन अप्राप्त रहने पर निदेशालय के पत्रांक–2032 दिनांक–22.11.2022 द्वारा संचालन प्रतिवेदन पर अभ्यावेदन की मांग संबंधी पत्र का तामिला हेतु जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, शिवहर को भेजा गया। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, शिवहर के द्वारा पत्र का तामिला कराये जाने के बावजूद श्री शंकर से अभ्यावेदन अप्राप्त रहा। पुनः निदेशालय के पत्रांक–611 दिनांक–24.03.2023 द्वारा श्री शंकर की सेवापुस्त में अंकित पते पर उनसे अभ्यावेदन की मांग संबंधी पत्र निबंधित डाक से भेजा गया। उक्त पत्र का तामिला जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, शिवहर के द्वारा भी श्री शंकर को कराया गया, लेकिन श्री शंकर से अभ्यावेदन अबतक अप्राप्त है। इससे स्पष्ट है कि श्री शंकर इस मामले में अपना अभ्यावेदन नहीं देना चाहते हैं और उन्हें अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है।

6. श्री शंभु शंकर, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सहरसा संप्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, शिवहर के विरूद्ध जिला प्रबंधक के पद पर कार्यरत रहते हुए टी०पी०डी०एस० गोदाम नवहट्टा, सत्तरकटैया एवं महिषी का विभागीय निदेशानुसार ससमय जाँच नहीं किये जाने का आरोप है जिससे बड़ी मात्रा में खाद्यान्न क्षतिग्रस्त हुआ, के आरोप को संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाया गया है।

7. अतः संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एंव अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(i) में किये गये प्रावधान के तहत श्री शंभु शंकर, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सहरसा संप्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, शिवहर पर निन्दन की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

ह०/–
(संजय कुमार पंसारी)
निदेशक

ज्ञापांकः– अ०सां०नि०/स्था०17–15/2020 /1227/पटना, दिनांकः– 14/07/23

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–3449 दिनांक–24.08.2020 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।
3. उप महाप्रबंधक,प्रशासन, राज्य खाद्य निगम मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला पदाधिकारी, सहरसा को उनके पत्रांक–03–1/आ० दिनांक–07.07.2020 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. उप निदेशक (सां०), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सहरसा/शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।.
8. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
9. श्री शंभु शंकर, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सहरसा संप्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, शिवहर को सूचनार्थ प्रेषित।

14/7/23
निदेशक

" जन्म हो या मरण, जरूरी हैं पंजीकरण।"

I.T